

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसाव (भारतपुर)
 पीठाधीन अधिकारी
 प्रकाश सं. 11/21

मुनिदेव शर्मा (A.K.S)
 दाय्य दिनांक 11-1-21

देवेन्द्र पुत्र कमरपाल जाति जाट निवासी तराजवां तह०
 भुसावर (भारतपुर)

----- प्रार्थी

बनाम

राजल्लखान सावरा जाति तहसीलदा (भुसावर (भारतपुर))
 ----- अजर्घी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा - 132
 राजल्लखान भू-राजल्ल अधिनियम 1956

आधिवक्ता - श्री शान्ति स्वरूप शर्मा-प्रार्थी
 पैरोकार सावरा - अजर्घी

निर्णय दिनांक 19.3.21

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संश्लेषण विवरण
 उक्त प्रमाण है कि कां०खिनः $\frac{124}{0.7800}$, $\frac{303}{0.2300}$, $\frac{35}{0.0400}$, $\frac{39}{0.1900}$, $\frac{64}{0.3700}$,

$\frac{76}{0.0100}$, $\frac{77}{0.5600}$, किला 7 कुम रकवा 2.1800 के 1/4 हिस्सा के कां०खः

$\frac{34}{0.2000}$ हे०ने 1/3 हिस्सा कोके ग्राह तराजवां तहसील भुसाव
 या प्रार्थी का पिता कमरपाल पुत्र हुकम खातेदा कात्रत का
 एवं काकिज भाराजी हे प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है।
 उसके उपरान्त प्रार्थी न भाई व कहेन बाहेस्सा करावर कात्रत
 करते चले का रहे है। उपरोक्त जाणीत भाराजी प्रार्थी के पिता
 कमरपाल की खातेदारी की भाराजी है जिस या प्रार्थी के
 पिता का नाम राजल्ल कात्रतियों की लहवन गाल से
 कमरपाल पुत्र हुकम के लहवन या कल्लु पुत्र हुकम दर्ज
 कर डेमा जबकि प्रार्थी के पिता का नाम कमरपाल है तथा
 प्रार्थी के पिता का नाम अन्ध दल्लावेजात जाति राशन काई,
 भाराशाह काई, एवं मतशता पहचान पत्र व आवार रुई में
 कमरपाल पुत्र हुकम दर्ज होता चला भरहा है।
 भाराजीत में प्रार्थी के पिता का नाम कमरपाल
 है

हमने प्रार्थना-पत्र धारा 136 LRA रजिस्ट्रार का अपार्षी की लम्बी जरिये रजिस्ट्रार नव. डांव द्वारा की गई नोटिस की तारीख में पैरोकार सरवाल व पत्रवारी हल्का उपस्थित आए उन्होंने मौका पत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की गई !

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरवाल को सुना जाय वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित लम्बों को दोहराया जाय तथा पैरोकार द्वारा नामक रहस्यीय मुल्य द्वारा मौका पत्र में अंकित लम्बों को दोहराया जाय साथ ही प्रार्थी हमने प्रार्थी द्वारा पत्रवारी प्रस्तुत इलाके की रिपोर्ट जैसे नकल जमाबन्दी सं. 2075-2078, प्रमाण-पत्र संपन्न ग्राम पंचायत धरती शपथ-पत्र प्रार्थी, करिब प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत, मुख्य जमाबन्दी कमपाल, मुख्य प्रमाण-पत्र कनीतादेवी काथामंडी कमापाल, एवं मौका पत्र नामक रहस्यीय मुल्य आई के कवकीकरण के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाय रहस्यीय मुल्य को निर्दिष्ट किया जाता है कि आ. सं. 124 303 0.7800, 0.2300, 33 39 64 76 77 0.0400, 0.1900, 0.3400, 0.0100, 0.5600, क्रि. 7 कुल 2.1800 के 1/3 हिस्सा को ग्राम सरवां के द्वारा जीवात में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कल्पू पुत्र कुकम को दुकस्त का कमपाल पुत्र कुकम दर्ज किया जावे !

निर्णय आज दिनांक 19.3.21 को लिया जाय सरे इजलास सुनाया गया


मुनिदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)